

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरु)

पीठासीन अधिकारी—श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 120/2022

निर्णय दिनांक — 31.05.2024

GCMS No.- 2022/210

अलादीन खॉ पुत्र पिरु जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

बनाम

.....वादी

1. अमीन खॉ पुत्र भुरे खॉ जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
2. असगर पुत्र रमजान जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
3. इब्राहिम सिक्का पुत्र लाला जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
4. ईकबाल पुत्र कालु जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
5. गनी पुत्र कालु जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
6. नजमा बानो पुत्री मुमताज जाति भिश्ती निवासीनी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
7. बुलकेश पुत्री लाला जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
8. मजीदन पत्नी लाला जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
9. मोहम्मद असलम पुत्र मुमताज जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
10. मोहम्मद युनुस पुत्र इस्माईल जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
11. याकुब खान पुत्र लाला जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
12. रईसा बानो पत्नी मुमताज जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
13. रजाक पुत्र कालु जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
14. रफीक अली पुत्र भुरे खॉ जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
15. रहिशा बानो पुत्री लाला जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
16. रोशन अली पुत्र लाला जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
17. सकरु खॉ पुत्र कालु जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
18. सबीर सिक्का पुत्र लाला जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
19. सरवर खॉ पुत्र रमजान जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
20. सुल्तान पुत्र रमजान जाति भिश्ती निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
21. सलानु खॉ पुत्र कालु जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
22. भंवरी पत्नी स्वर्गीय नवाब जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
23. जबार पुत्र स्वर्गीय नवाब जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
24. आहिब पुत्र स्वर्गीय नवाब जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
25. मजीद पुत्र स्वर्गीय हुसैन खात्र जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
26. आसिफ पुत्र स्वर्गीय हुसैन खॉ जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
27. असलम पुत्र स्वर्गीय हुसैन खॉ जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
28. सिकन्दर पुत्र स्वर्गीय हुसैन खॉ जाति सिक्का निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
29. शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
30. उप-पंजीयक अधिकारी, उप-पंजीयक कार्यालय सालासर तहसील सुजानगढ़
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ़, जिला चूरु (राज.)

.....प्रतिवादीगण




 उप खण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़

दावा कृषि भूमि विभाजन व चिर निषेधाज्ञा हेतु

उपस्थित:-

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 29 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 30 व 31 राज पैरोकार उपस्थित।

-: निर्णय :-


प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग का खेत खसरा संख्या 1225/198 रकबा 0.4571 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1227/200 रकबा 0.0335 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1229/200 रकबा 0.4071 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1231/202 रकबा 0.2743 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1232/202 रकबा 0.0587 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1233/203 रकबा 0.8566 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1381/195 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.6448 हैक्टेयर, खसरा संख्या 168 रकबा 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 169 रकबा 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 170 रकबा 0.9483 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 3.2497 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 0.8472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203/803 रकबा 0.2023 हैक्टेयर व खसरा संख्या 209 रकबा 0.1011 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 11.0909 हैक्टेयर रोही ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादगत भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा नियत है। जिसका वादी विभाजन करवाना चाहता है।

वाद वादी न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 15.03.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, मौका व कब्जानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

बहस एकपक्षीय विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण वादगत भूमि खसरा संख्या 1225/198 रकबा 0.4571 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1227/200 रकबा 0.0335 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1229/200 रकबा 0.4071 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1231/202 रकबा 0.2743 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1232/202 रकबा 0.0587 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1233/203 रकबा 0.8566 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1381/195 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.6448 हैक्टेयर, खसरा संख्या 168 रकबा 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 169 रकबा 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 170 रकबा 0.9483 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 3.2497 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 0.8472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203/803 रकबा 0.2023 हैक्टेयर व खसरा संख्या 209 रकबा 0.1011 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 11.0909 हैक्टेयर में से अपने हिस्से पांति का 1/8 हिस्सा खसरा संख्या 170 मीन रकबा 0.4204 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203/803 रकबा 0.2023 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1233/203 मीन रकबा 0.7636 हैक्टेयर रोही ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भी वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री तथा चिरनिषेधाज्ञा की हद तक खारीज किया जाना उचित समझता है।




 उप खण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 31 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 1225/198 रकबा 0.4571 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1227/200 रकबा 0.0335 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1229/200 रकबा 0.4071 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1231/202 रकबा 0.2743 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1232/202 रकबा 0.0587 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1233/203 रकबा 0.8566 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1381/195 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.6448 हैक्टेयर, खसरा संख्या 168 रकबा 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 169 रकबा 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 170 रकबा 0.9483 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 3.2497 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 0.8472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203/803 रकबा 0.2023 हैक्टेयर व खसरा संख्या 209 रकबा 0.1011 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 11.0909 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में से वादी के हिस्से पांति का 1/8 हिस्सा खसरा संख्या 170 मीन रकबा 0.4204 हैक्टेयर , खसरा संख्या 203/803 रकबा 0.2023 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा संख्या 1233/203 मीन रकबा 0.7636 हैक्टेयर पृथक् खाता तथा लगान कायम कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



ओमप्रकाश वर्मा
उपरखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़

व इजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

अलादीन खां बनाम अमीन खां आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा

मुकदमा न0 120 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु

हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एड, .मिनजानिब मुद्ई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 31 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 1225/198 रकबा 0.4571 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1227/200 रकबा 0.0335 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1229/200 रकबा 0.4071 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1231/202 रकबा 0.2743 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1232/202 रकबा 0.0587 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1233/203 रकबा 0.8566 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1381/195 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.6448 हैक्टेयर, खसरा संख्या 168 रकबा 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 169 रकबा 0.8851 हैक्टेयर, खसरा संख्या 170 रकबा 0.9483 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 3.2497 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199 रकबा 0.8472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203/803 रकबा 0.2023 हैक्टेयर व खसरा संख्या 209 रकबा 0.1011 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 11.0909 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में से वादी के हिस्से पांति का 1/8 हिस्सा खसरा संख्या 170 मीन रकबा 0.4204 हैक्टेयर , खसरा संख्या 203/803 रकबा 0.2023 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा संख्या 1233/203 मीन रकबा 0.7636 हैक्टेयर पृथक् खाता तथा लगान कायम कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

चीज..... मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक
को अदा करे।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 05. 2024

मुहर



दस्तखत

ओहदा

रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

31/5
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़